

Table of Content

- 1. राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां
 - 2.1. भारत की आजादी
 - 2.1.1. इस बटवारे की वजह था द्विराष्ट्र सिद्धांत
 - 2.1.1.1. द्विराष्ट्र सिद्धांत
 - 2.1.2. विभाजन की समस्याएँ
 - 2.1.2.1. दो पाकिस्तान
 - 2.1.2.2. राज्यों का विभाजन
 - 2.1.2.3. जनता की असहमति
 - 2.1.2.4. अल्पसंख्यकों की समस्या
 - 2.1.3. विभाजन के परिणाम
 - 2.2. राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां
 - 2.2.1. अखंड भारत का निर्माण
 - 2.2.2. लोकतंत्र स्थापित करना
 - 2.2.3. विकास
 - 2.3. रजवाड़ों की समस्या
 - 2.4. सरदार वल्लभ भाई पटेल और राष्ट्रीय एकता
 - 2.4.1. इंस्ट्रॉमेंट 3०५ एक्सेशन
 - 2.4.2. हैदराबाद
 - 2.4.3. मणिपुर
 - 2.4.4. जम्मू एवं कश्मीर
 - 2.4.5. वर्तमान में जम्मू कश्मीर की स्थिति
 - 2.5. राज्यों का पुनर्गठन
 - 2.5.1. समस्या
 - 2.5.2. परिणाम
 - 2.6. राज्य पुनर्गठन आयोग
 - 2.6.1. कार्य
 - 2.6.2. परिणाम

भारत की आजादी

- 14, 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत आजाद हुआ।
- इस समय जवाहर लाल नेहरू द्वारा एक भाषण दिया गया जिसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी यानि भाग्यवधु से चीर प्रतीक्षित भेट कहा जाता है।

- भारत को सामान्य रूप से आज़ादी नहीं मिली बल्कि भारत को आज़ादी के बाद तीन अलग-अलग भागों में बाँट दिया गया ।
- जिसमें से पहला हिस्सा था ब्रिटिश भारत, दूसरा हिस्सा था पाकिस्तान तथा तीसरा हिस्सा था देसी रजवाड़े (देसी रजवाड़े का मतलब वो जगह जहाँ राजाओं का शासन हुआ करता था)

इस बटवारे की वजह था द्विराष्ट्र सिद्धांत

द्विराष्ट्र सिद्धांत

इस सिद्धांत को मुस्लिम लीग ने पेश किया। इस सिद्धांत के अनुसार भारत एक नहीं बल्कि दो अलग अलग कोमों का देश था इसीलिए दो अलग अलग देशों की मांग की गई। जिसमें से पहला देश था भारत जो की एक हिन्दू राष्ट्र बना तथा दूसरा देश था पाकिस्तान जो की एक मुस्लिम राष्ट्र बना। इस बटवारे की कुछ समस्याएँ भी थीं।

विभाजन की समस्याएँ

दो पाकिस्तान

इस सिद्धांत के अनुसार जिस जगह हिन्दू ज़्यादा थे उसे भारत तथा जहाँ मुस्लिम ज़्यादा थे उसे पाकिस्तान बनाया जाना था। पर समस्या यह हुई की उस समय भारत में दो ऐसे क्षेत्र थे जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी। एक था पूर्व में और दूसरा था पश्चिम में। इसी वजह से दो पाकिस्तान (पूर्वी पाकिस्तान तथा पश्चिमी पाकिस्तान) का निर्माण किया गया

राज्यों का विभाजन

पंजाब तथा बंगाल दो ऐसे राज्य थे जहाँ मुस्लिम तथा हिन्दू दोनों ही सामान मात्रा में थे इस वजह से इन राज्यों का विभाजन करना पड़ा।

जनता की असहमति

बहुत से ऐसी लोग थे जो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे जिसमें से प्रमुख थे खान अब्दुल गफकार खान, इन्हें सीमान्त गँधी भी कहा जाता था। इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का खुल कर विरोध किया। ऐसे सभी लोगों की आवाज़ को दबा दिया गया तथा उन्हें पाकिस्तान में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा।

अल्पसंख्यकों की समस्या

ऐसा नहीं था कि पाकिस्तानी क्षेत्र में हिन्दू नहीं थे या भारतीय क्षेत्र में मुसलमान नहीं थे । दोनों ही क्षेत्रों में अल्पसंख्यक मौजूद थे । यह विभाजन की सबसे बड़ी समस्या थी और इसी समस्या का कोई समाधान निकाला न जा सका और यही समस्या आगे जाकर दोनों देशों में हुए दंगों का सबसे बड़ा कारण बनी ।

विभाजन के परिणाम

- पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान बने
- अत्यधिक हिंसा हुई, जान और माल दोनों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ ।
- पाकिस्तान तथा भारत दोनों में ही शरणार्थी समस्या पैदा हुई ।
- विभाजन के कारण ही कश्मीर की समस्या भी पैदा हुई

राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां

विभाजन और इस त्रासदी से निपटने के बाद नेताओं का ध्यान उन समस्याओं की और गया जो अत्यंत महत्वपूर्ण थी । यह वो मुद्दे थे जिन पर सभी नेता स्वतन्त्रता से पहले से सहमत थे और अब इन्हे अस्तित्व में लाना था ।

अखंड भारत का निर्माण

भारत तीन अलग अलग हिस्सों में बट गया था। जिसमें से पहला हिस्सा था ब्रिटिश भारत, दूसरा हिस्सा था पाकिस्तान तथा तीसरा हिस्सा था देसी रजवाड़े (देसी रजवाड़ों का मतलब वो जगह जहाँ राजाओं का शासन हुआ करता था) ऐसी स्थिति में देश में मौजूद 565 देसी रजवाड़ों को भारत में शामिल कर अखंड भारत बनाना एक चुनौती बन गया

लोकतंत्र स्थापित करना

आज़ादी के समय भारत में ज्यादातर लोग अनपढ़ तथा गरीब थे ऐसी स्थिति में भारत में लोकतंत्र की स्थापना करना किसी चुनौती से कम नहीं था ।

विकास

आज़ादी के समय भारत में ज्यादातर लोग गरीब और अशिक्षित थे। देश को इस गरीबी तथा अशिक्षा की स्थिति से बाहर निकलना ज़रूरी था इसीलिए विकास भी स्वतंत्र के समय उपस्थित चुनौतियों में से एक था

रजवाड़ों की समस्या



- आज़ादी के समय अंग्रेज़ों ने ऐलान किया कि भारत के साथ ही सभी देसी रजवाड़े भी ब्रिटिश राज से आज़ाद हो जायेंगे।
- सभी रजवाड़ों को अधिकार दिया गया कि वह या तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बनाये रख सकते हैं।
- यह फैसला लेने का अधिकार रजवाड़ों के राजाओं को दिया गया। यही से सारी समस्या शुरू हुई।
- विभाजन से हुए विध्वंस के बाद मौजूद सबसे बड़ी समस्या थी सभी 565 देसी रजवाड़ों का भारत का में विलय करके अखंड भारत का निर्माण करना। इस प्रक्रिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सरदार वल्लभ भाई पटेल और राष्ट्रीय एकता

रजवाड़ों को शामिल करने के लिए भारत सरकार का तरीका लचीला था। सरकार द्वारा सामन्य बातचीत और बल प्रयोग दोनों तरीकों को ज़रूरत अनुसार अपनाया गया।

इंस्ट्रॉमेंट ऑफ एक्सेशन

रजवाड़ो के विलय के लिए एक सहमति पत्र का निर्माण किया गया। इस सहमति पत्र को ही इंस्ट्रॉमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। इस पर हस्ताक्षर करने का मतलब था कि रजवाड़े भारत में शामिल होने के लिए तैयार हैं।

ज्यादातर रजवाड़े भारत में शामिल होने के लिए राजी हो गए पर कुछ रजवाड़ों को भारत में शामिल करने में समस्याएँ आईं।

- सभी रजवाड़ों को भारत में शामिल करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है
- उनकी सूझाबूझ और राजनीतिक ज्ञान के द्वारा उन्होंने सभी रजवाड़ों को मना कर भारत में शामिल करवाया और अखंड भारत बनाने में अहम योगदान दिया
- उनके इन्हीं योगदानों की वजह से महात्मा गांधी द्वारा उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी गई और साथ ही साथ वह देश के पहले गृह मंत्री बने
- वर्तमान दौर में सरकार द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (Statue of Unity) का निर्माण किया गया जो कि विश्व के कुछ सबसे बड़े स्टैच्यू में से एक है

हैदराबाद

- आजादी के समय हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रिसायत में से एक था।
- इसके शासक को निजाम कहा जाता था।
- निजाम उस समय दुनिया के कुछ सबसे आमिर लोगों में से एक था।
- निजाम चाहता था कि हैदराबाद भारत से अलग रहे और आजाद रियासत बने पर हैदराबाद में रहने वाले लोग उसके शासन से खुश नहीं थे।
- जिस वजह से हैदराबाद के लोगों ने निजाम के खिलाफ आंदोलन करने शुरू किये।
- यह सब देख कर एवं इस विद्रोह को रोकने के लिए निजाम ने रजाकारों को भेजा।
- रजाकार निजाम के सैनिकों को कहा जाता था। रजाकारों ने लूटपाट, हत्या और बलात्कार किये।
- लोगों पर हो रहे इस अत्याचार को देखते हुए सितम्बर 1948 में भारतीय सेना ने हैदराबाद पर आक्रमण की किया ताकि सामान्य जनता को रजाकारों से बचाया जा सके।
- यह युद्ध काफी दिनों तक चला और अंत में निजाम को हार माननी पड़ी और इस तरह हैदराबाद भारत का अंग बन गया।

मणिपुर

- मणिपुर भारत के पूर्व में स्थित एक रियासत था।
- यह के राजा थे बोध चंद्र सिंह।

- लोगों के दबाव के कारण राजा को जून 1948 में चुनाव करवाने पड़े और इस तरह से मणिपुर में संवैधानिक राजतन्त्र को स्थापना हुई और भारत में सबसे पहले मणिपुर में ही सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार को अपना कर चुनाव हुए ।
- भारत में पूर्ण रूप से शामिल होने की बात को लेकर मणिपुर की विधानसभा में बहुत मतभेद थे ।
- कांग्रेस चाहती थी कि मणिपुर पूरी तरह से भारत में शामिल हो जाये पर बाकि पार्टियां ऐसा नहीं चाहती थीं ।
- अगर विधानसभा में भारत से अलग रहने का प्रस्ताव पास हो जाता तो मणिपुर को भारत में शामिल कर असंभव हो जाता
- इसी को देखते हुए भारतीय सरकार ने मणिपुर के राजा पर दबाव बनाया और उनसे पूर्ण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए इस तरह मणिपुर भारत का अंग बन गया ।
- मणिपुर के लोगों को यह सही नहीं लगा और वहाँ की जनता काफी लम्बे समय तक इस फैसले से नाराज़ रही ।

जम्मू एवं कश्मीर

- भारत के सबसे उत्तरी हिस्से पर जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्थित है
- आजाद होने से पहले जम्मू और कश्मीर रियासत हुआ करता था जिसके राजा हरि सिंह थे
- राजा हरि सिंह स्वतन्त्र रहना चाहते थे जबकि पाकिस्तान कहता था कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है इसीलिए जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल किया जाना चाहिए
- इस मांग को देखते हुए पाकिस्तान ने आजादी के तुरंत बाद 1947 में जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के मकसद से जम्मू कश्मीर पर हमला किया
- जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह ने भारत से मदद मांगी और भारत ने उनकी मदद की
- इसी दौरान जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र यानी इंस्ट्रॉमेंट ऑफ एक्सप्रेशन पर हस्ताक्षर किए और अधिकारिक तौर से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया
- इसी दौरान यह भी कहा गया कि जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो वहाँ पर जनमत संग्रह कराया जाएगा कि वहाँ के लोग किस देश में शामिल होना चाहते हैं
- 1947 में हुए युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है और भारत द्वारा इसे POK यानी Pakistan Occupied Kashmir कहा जाता है
- पर यह जनमत संग्रह आज तक नहीं कराया गया और जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत विशेष अधिकार दिए गए

वर्तमान में जम्मू कश्मीर की स्थिति

- 2019 में सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया गया और जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया
- वर्तमान में जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है

राज्यों का पुनर्गठन

- रियासतों के विलय के बाद मौजूद सबसे बड़ी समस्या थी कि किस तरह से देश में राज्यों की सीमाओं को निर्धारित किया जाये ।
- ऐसा करना इसीलिए ज़रूरी था ताकि एक सामान संस्कृति और भाषा वाले लोग एक राज्य में रह सके । ब्रिटिश शासन काल में राज्यों की सीमाओं पर खास ध्यान नहीं दिया गया ।
- जब भी कोई नया क्षेत्र ब्रिटिश शासन के आधीन आ जाता था तो या तो उसे नया राज्य बना दिया जाता था या फिर पुराने राज्यों में शामिल कर दिया जाता था। इसी वजह से राज्यों की सीमाओं का पुनर्गठन किया जाना ज़रूरी था ।

समस्या

- भारत के नेताओं को यह डर था कि अगर भाषा के आधार पर राज्य बनाये गए तो इससे अव्यवस्था फ़ैल सकती है और देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है ।
- इसी के साथ ऐसा करने से सरकार का ध्यान अन्य मुख्य मुद्दों से भटक सकता है ।
- देश में राज्यों के पुनर्गठन के मुद्दे को लेकर आंदोलन होने शुरू हो गए। सबसे बड़ा आंदोलन हूआ मद्रास में जहाँ तेलगु भाषा बोलने लोगों ने मद्रास से अलग एक तेलगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश बनाने की मांग की ।
- मद्रास में उपस्थित लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां और नेता तेलगु भाषी राज्य बनाने के पक्ष में थे ।
- जब केंद्र सरकार द्वारा ये मांग पूरी नहीं की गई तो काफी सारे विधायकों ने इस्तीफा दे दिया ।
- पुरे मद्रास में अव्यवस्था फ़ैल गई । लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर आ गए और हिंसक घटनाये भी हुईं ।

परिणाम

- इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और 1952 के दिसंबर के प्रधानमन्त्री ने आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बनाने की घोषणा की ।

राज्य पुनर्गठन आयोग

देश में बढ़ती हुई अव्यवस्था को देखते हुए सरकार ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया ।

कार्य

इस आयोग का कार्य राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया पर विचार करना था ।

परिणाम

- आयोग ने भी माना कि राज्यों का पुनर्गठन वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए ।
- इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ
- इस अधिनियम के आधार पर देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाये गए ।

Questions

प्रश्न.1. भारत-विभाजन के बारे में निम्नलिखित कौन-सा कथन गलत है?


- (क) भारत-विभाजन 'द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त' का परिणाम था।
(ख) धर्म के आधार पर दो प्रान्तों-पंजाब और बंगाल-का बँटवारा हुआ।
(ग) पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी।
(घ) विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला-बदली होगी।
(घ) विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला-बदली होगी।

प्रश्न.2. निम्नलिखित सिद्धान्तों के साथ उचित उदाहरणों का मेल करें-

(क)	धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण	1.	पाकिस्तान और बंगलादेश
(ख)	विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण	2.	भारत और पाकिस्तान
(ग)	भौगोलिक आधार पर किसी देश के क्षेत्रों का सीमांकन	3.	झारखण्ड और छत्तीसगढ़
(घ)	किसी देश के भीतर प्रशासनिक और राजनीतिक आधार पर क्षेत्रों का सीमांकन	4.	हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड
(क)	धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण	2.	भारत और पाकिस्तान
(ख)	विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण	1.	पाकिस्तान और बंगलादेश
(ग)	भौगोलिक आधार पर किसी देश के क्षेत्रों का सीमांकन	4.	हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड
(घ)	किसी देश के भीतर प्रशासनिक और राजनीतिक आधार पर क्षेत्रों का सीमांकन	3.	झारखण्ड और छत्तीसगढ़

प्रश्न.3. भारत का कोई समकालीन राजनीतिक नक्शा लीजिए (जिसमें राज्यों की सीमाएँ दिखाई गई हों) और नीचे लिखी रियासतों के स्थान चिह्नित कीजिए

- (क) जूनागढ़,
- (ख) मणिपुर,
- (ग) मैसूर,
- (घ) ग्वालियर।



प्रश्न.4. नीचे दो तरह की राय लिखी गई हैं-

विस्मय-रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने से इन रियासतों की प्रजा तक लोकतन्त्र का विस्तार हुआ।

इन्द्रप्रीत—यह बात में दावे के साथ नहीं कह सकता। इसमें बल प्रयोग भी हुआ था जबकि लोकतन्त्र में आम सहमति से काम लिया जाता है।

देसी रियासतों के विलय और ऊपर के मशविरे के आलोक में इस घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है?

1. विस्मय की राय के सम्बन्ध में विचार-देसी रियासतों का विलय प्रायः लोकतान्त्रिक तरीके से ही हुआ क्योंकि 565 में से केवल चार-पाँच रजवाड़ों ने ही भारतीय संघ में शामिल होने से कुछ आना-कानी दिखाई थी। इनमें से भी कुछ शासक जनमत एवं जनता की भावनाओं की अनदेखी कर रहे थे। विलय से पूर्व अधिकांश रियासतों में शासन अलोकतान्त्रिक रीति से चलाया गया था और रजवाड़ों के शासक अपनी प्रजा को लोकतान्त्रिक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे। इन रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने से यहाँ समान रूप से चुनावी प्रक्रिया क्रियान्वित हुई। अतः विस्मय का यह विचार सही है कि भारतीय संघ में मिलाने से यहाँ जनता तक लोकतन्त्र का विस्तार हुआ।

2. इन्द्रप्रीत की राय के सम्बन्ध में विचार—यह बात ठीक है कि कुछ रियासतों (हैदराबाद और जूनागढ़) को भारत में मिलाने के लिए बल प्रयोग किया गया, परन्तु तत्कालीन परिस्थितियों में इन रियासतों पर बल प्रयोग करना आवश्यक था, क्योंकि इन रियासतों ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था तथा इनकी भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की थी कि इससे भारत की एकता एवं अखण्डता को हमेशा खतरा बना रहता था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो बल प्रयोग किया गया, वह इन रियासतों की जनता के विरुद्ध नहीं, बल्कि शासन (शासन वर्ग) के विरुद्ध किया गया क्योंकि इन दोनों राज्यों की 80 से 90 प्रतिशत जनसंख्या भारत में विलय चाह रही थी। उन्होंने आन्दोलन शुरू कर रखा था और जब से ये रियासतें भारत में शामिल हो गईं, तब से इन रियासतों के लोगों को भी सभी लोकतान्त्रिक अधिकार दे दिए गए।

प्रश्न.5. नीचे 1947 के अगस्त के कुछ बयान दिए गए हैं जो अपनी प्रकृति में

अत्यन्त भिन्न हैं

आज आपने अपने सर कॉटों का ताज पहना है। सत्ता का आसन एक बुरी चीज है। इस आसन पर आपको बड़ा सचेत रहना होगा..... आपको और ज्यादा विनम्र और धैर्यवान बनना होगा..... अब लगातार आपकी परीक्षा ली जाएगी। -मोहनदास करमचन्द गांधी भारत आजादी की जिन्दगी के लिए जागेगा..... हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाएँगे..... आज दुर्भाग्य के एक दौर का खात्मा होगा और हिन्दुस्तान अपने को फिर से पा लेगा..... आज हम जो जश्न मना रहे हैं वह एक कदम भर है, सम्भावनाओं के द्वार खुल रहे हैं..... -जवाहरलाल नेहरू इन दो बयानों से राष्ट्र-निर्माण का जो एजेण्डा ध्वनित होता है उसे लिखिए। आपको कौन-सा एजेण्डा अँच रहा है और क्यों? मोहनदास करमचन्द गांधी और जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए उपर्युक्त बयान राष्ट्र निर्माण की भावना से सम्बन्धित हैं।

गांधी जी ने देश की जनता को चुनौती देते हुए कहा है कि देश में स्वतन्त्रता के बाद लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था कायम होगी, राजनीतिक दलों में सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष होगा। ऐसी स्थिति में नागरिकों को अधिक विनम्र और धैर्यवान बनना होगा, उन्हें धैर्य से काम लेना होगा तथा चुनावों में निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर देशहित को प्राथमिकता देनी होगी।

जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया बयान हमें विकास के उस एजेण्डे की तरफ संकेत कर रहा है कि भारत आजादी की जिन्दगी जिएगा। यहाँ राजनीतिक स्वतन्त्रता, समानता और किसी हद तक न्याय की स्थापना हुई है लेकिन हमारे कदम पुराने ढर्से से प्रगति की ओर बहुत धीमी गति से बढ़ रहे हैं। निःसन्देह 14-15 अगस्त, 1947 की मध्यरात्रि को उपनिवेशवाद का खात्मा हो गया। हिन्दुस्तान जी उठा, यह एक स्वतन्त्र हिन्दुस्तान था लेकिन आजादी मनाने का यह उत्सव क्षणिक था क्योंकि आगे बहुत समस्याएँ थीं जिनमें उनको समाप्त कर नई सम्भावनाओं के द्वार खोलना है, जिससे गरीब-से-गरीब भारतीय यह महसूस कर सके कि आजाद हिन्दुस्तान भी उसका मुल्क है। इस प्रकार नेहरू के बयान में भविष्य के राष्ट्र की कल्पना की गई है जिसमें उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र को कल्पना की है जो आत्मनिर्भर एवं स्वाभिमानी बनेगा।

उपर्युक्त दोनों कथनों में महात्मा गांधी का कथन इस घट्ट से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि वह भविष्य में लोकतान्त्रिक शासन के समक्ष आने वाली समस्याओं के प्रति नागरिकों को आगाह करता है कि सत्ता प्राप्ति के मोह, विभिन्न प्रकार के लोभ-लालच,

भ्रष्टाचार, धर्म, जाति, वंश, लिंग के आधार पर जनता में फूट डाल सकते हैं तथा हिंसा हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में जनता को विनम्र और धैर्यवान रहते हुए देशहित में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करना चाहिए।

प्रश्न.6. भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए नेहरू ने किन तर्कों का इस्तेमाल किया? क्या आपको लगता है कि ये केवल भावात्मक और नैतिक तर्क हैं अथवा इनमें कोई तर्क युक्तिपरक भी है?

नेहरू जी धर्मनिरपेक्षता में पूर्ण विश्वास रखते थे, वे धर्म विरोधी या नास्तिक नहीं थे। उनकी धर्म सम्बन्धी धारणा संकुचित न होकर अधिक व्यापक थी। भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने अपने तर्क प्रस्तुत किए। ये तर्क इस प्रकार हैं “अनेक कारणों की वजह से हम इस भव्य तथा विभिन्नता से भरपूर देश को एकता के सूत्र में बाँधे रखने में सफल हुए हैं। इसमें मुख्य रूप से हमारे संविधान निर्माण तथा उनका अनुकरण करने वाले महान् नेताओं की बुद्धिमत्ता तथा दूरदर्शिता है।

यह बात कम महत्व की नहीं है कि भारतीय स्वभाव से धर्मनिरपेक्ष हैं और हम प्रत्येक धर्म का अपने दिल से आदर करते हैं। भारतवासियों की भाषाई तथा धार्मिक पहचान चाहे कुछ भी हो, वे कभी भी भाषायी तथा सांस्कृतिक एकरूपता रूपी एक नीरस तथा कठोर व्यवस्था को उन पर थोपने के लिए प्रयत्न नहीं करते। हमारे लोग इस बात से भली-भाँति परिचित हैं कि जब तक हमारी विविधता सुरक्षित है, हमारी एकता भी सुरक्षित है। हजारों वर्ष पूर्व हमारे प्राचीन ऋषियों ने यह उद्घोषित किया था कि समस्त विश्व एक कुटुम्ब है।”

नेहरू जी की उपर्युक्त पंक्तियों में निम्नांकित तर्क हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं-

- नेहरू जी ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तथा प्राचीन काल से ही यहाँ समय-समय पर विभिन्न सांस्कृतिक विशेषताओं वाले समूह व जनसमूह विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आते रहे हैं। नेहरू जी के शब्दों में, “भारत मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति नहीं है बल्कि भारत के मस्तिष्क की विश्व में बहुत मान्यता है जिसके कारण भारत विदेशी प्रभावों को आमन्त्रित करता है और इन प्रभावों की अच्छाइयों को एक सुसंगत तथा मिश्रित बपौती में संश्लेषित कर

लेता है। भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश में, विभिन्नता में एकता जैसे सिद्धान्त को नहीं उत्पन्न किया गया है क्योंकि यहाँ यह हजारों वर्षों से एक सभ्य सिद्धान्त बन गया है तथा यही भारतीय राष्ट्रवाद का आधार है। इस विभिन्नता के प्रति न डगमगाने वाले समर्पण को निकाल देने से भारत की आत्मा ही लुप्त हो जाएगी। स्वतन्त्रता संग्राम ने इसी सभ्यता के सिद्धान्त को एक राष्ट्र की व्यावहारिक राजनीति में निर्मित करने के लिए उपयोग किया।” पं० नेहरू द्वारा प्रस्तुत यह तर्क भावनात्मक और नैतिक तो ही है साथ ही इनका आधार भी युक्तिसंगत व देश की गरिमा व अस्मिता के अनुकूल है जो राष्ट्रीय एकता व अखण्डता की दृष्टि से समीचीन प्रतीत होते हैं।

- नेहरू जी ने देश की स्वतन्त्रता से पहले तथा संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान भी इस बात पर विशेष बल दिया था कि भारत की एकता व अखण्डता तभी अक्षुण्ण रह सकती है जबकि अल्पसंख्यकों को समान अधिकार, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रता एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य का वातावरण तथा विश्वास प्राप्त होता रहे। उनका तर्क था कि हम भारत में अनेक कारणों से राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में सफल हुए हैं, इसी कारण भारत धर्मनिरपेक्ष व अल्पसंख्यक, भाषाई और धार्मिक समुदायों की पहचान को बचाने में सफल रहा। भारत विश्व को एक परिवार समझकर “वसुधैव कुटुम्बकम्” की भावना में विश्वास करने वाला राष्ट्र रहा है।

चूँकि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना था अतः पं० नेहरू का यह कथन पूर्ण युक्तिपरक है कि अपने देश में रहने वाले अल्पसंख्यक मुस्लिमों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। पाकिस्तान चाहे जितना भी उकसाए अथवा वहाँ के गैर-मुस्लिमों को अपमान व भय का सामना करना पड़े परन्तु हमें अपने अल्पसंख्यक भाइयों के साथ सभ्यता व शालीनता का व्यवहार करना है तथा उन्हें समस्त नागरिक अधिकार दिए जाने हैं तभी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहलाएगा।

भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाए रखने के लिए 15 अक्टूबर, 1947 को नेहरू जी ने देश के विभिन्न प्रान्तों के मुख्यमन्त्रियों को जो पत्र लिखा था उसमें उन्होंने यह तर्क दिया था कि मुस्लिमों की संख्या इतनी अधिक है कि चाहें तो भी वे दूसरे देशों में नहीं जा सकते। इस प्रकार नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क भावनात्मक और नैतिक होते हुए भी युक्तिपरक हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र

बनाने के लिए प्रस्तुत किए गए नेहरू जी के तर्क केवल भावनात्मक व नैतिक ही नहीं बल्कि युक्तिपरक भी हैं।

प्रश्न.7. आजादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र-निर्माण की चुनौती के लिहाज से दो मुख्य अन्तर क्या थे?

आजादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के लिहाज से निम्नांकित दो प्रमुख अन्तर थे-

- आजादी के साथ देश के पूर्वी क्षेत्रों में सांस्कृतिक एवं आर्थिक सन्तुलन की समस्या थी जबकि पश्चिमी क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी चुनौती थी।
- देश के पूर्वी क्षेत्रों में भाषाई समस्या अधिक थी जबकि पश्चिमी क्षेत्रों में धार्मिक एवं जातिवाद की समस्या अधिक थी।

प्रश्न.8. राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था? इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थीं?

केन्द्र सरकार ने सन् 1953 में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग बनाया। फजल अली की अध्यक्षता में गठित इस आयोग का कार्य राज्यों के सीमांकन के मामले पर कार्रवाई करना था। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों को सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें-

- भारत की एकता व सुरक्षा की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए।
- राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए।
- भाषाई और सांस्कृतिक सजातीयता का ध्यान रखा जाए।
- वित्तीय तथा प्रशासनिक विषयों की ओर उचित ध्यान दिया जाए।

इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सन् 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केन्द्रशासित प्रदेश बनाए गए। भारतीय संविधान में वर्णित मूल वर्गीकरण की चार श्रेणियों को समाप्त कर दो प्रकार की इकाइयाँ (स्वायत्त राज्य व केन्द्रशासित प्रदेश) रखी गईं।

प्रश्न.9. कहा जाता है कि राष्ट्र एक व्यापक अर्थ में ‘कल्पित समुदाय’ होता है और सर्व सामान्य विश्वास, इतिहास, राजनीतिक आकांक्षा और कल्पनाओं से एक सूत्र में बँधा होता है। उन विशेषताओं की पहचान करें जिनके आधार पर भारत एक राष्ट्र है। भारत की एक राष्ट्र के रूप में विशेषताएँ भारत की एक राष्ट्र के रूप में प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

- मातृभूमि के प्रति श्रद्धा एवं प्रेम-मातृभूमि से प्रेम प्रत्येक राष्ट्र का स्वाभाविक लक्षण एवं विशेषता माना जाता है। एक ही स्थान या प्रदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति मातृभूमि से प्यार करते हैं और इस प्यार के कारण वे आपस में एक भावना के अन्दर बँध जाते हैं। भारत से लाखों की संख्या में लोग विदेश में जाकर बस गए हैं लेकिन मातृभूमि से प्रेम के कारण वे सदा अपने आपको भारतीय राष्ट्रीयता का अंग मानते हैं।
- भौगोलिक एकता-भौगोलिक एकता भी राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करती है। जब मनुष्य कुछ समय के लिए एक निश्चित प्रदेश में रह जाता है तो उसे उस प्रदेश से प्रेम हो जाता है और यदि उसका जन्म भी उसी प्रदेश में हुआ हो तो प्यार की भावना और तीव्र हो जाती है।
- सांस्कृतिक एकरूपता-भारतीय संस्कृति इस देश को एक राष्ट्र बनाती है। यह विभिन्नता में एकता लिए हुए है। इस संस्कृति की अपनी पहचान है। लोगों के अपने संस्कार हैं, छोटे-बड़ों का आदर करते हैं। वैवाहिक बन्धन, जाति प्रथाएँ, साम्प्रदायिक सद्भाव, सहनशीलता, त्याग, पारस्परिक प्रेम, ग्रामीण जीवन का आकर्षक वातावरण इस राष्ट्र की एकता को बनाने में अधिक सहायक रहा है।
- सामान्य इतिहास-भारत का एक अपना राजनीतिक-आर्थिक इतिहास है। इस इतिहास का अध्ययन सभी करते हैं और इसकी गलतियों से छुटकारा पाने का प्रयास समय-समय पर सत्ताधारियों, सुधारकों, धर्म प्रवर्तकों, भक्त और सूफी सन्तों ने किया है।
- सामान्य हित-भारत राष्ट्र के लिए सामान्य हित महत्वपूर्ण तत्व है। यदि लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक हित समान हों तो उनमें एकता की उत्पत्ति होना स्वाभाविक है। 18वीं शताब्दी में अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए

अमेरिका के विभिन्न राज्य आपस में संगठित हो गए और उन्होंने स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी।

- संचार के साधनों की विभिन्न भूमिका-भारत एक राष्ट्र है। इसकी भावना को सुदृढ़ करने के लिए जनसंचार माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिण्ट मीडिया आदि भी भारत को एक राष्ट्र बनाने में योगदान दे रहे हैं।
- जन इच्छा-भारत का एक राष्ट्र के रूप में एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व लोगों में राष्ट्रवादी बनने की इच्छा भी है। मैजिनी ने लोक इच्छा को राष्ट्र का आधार बताया है।

प्रश्न.10. नीचे लिखे अवतरण को पढ़िए और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

राष्ट्र-निर्माण के इतिहास के लिहाज से सिर्फ सोवियत संघ में हुए प्रयोगों की तुलना भारत से की जा सकती है। सोवियत संघ में भी विभिन्न और परस्पर अलग-अलग जातीय समूह, धर्म, भाषाई-समुदाय और सामाजिक वर्गों के बीच एकता का भाव कायम करना पड़ा। जिस पैमाने पर यह काम हुआ, चाहे भौगोलिक पैमाने के लिहाज से देखें या जनसंख्यागत वैविध्य के लिहाज से, वह अपने आपमें बहुत व्यापक कहा जाएगा। दोनों ही जगह राज्य की जिस कच्ची सामग्री से राष्ट्र-निर्माण की शुरुआत करनी थी वह समान रूप से दुष्कर थी। लोग धर्म के आधार पर बँटे हुए और कर्ज तथा बीमारी से दबे हुए थे। - रामचन्द्र गुहा

(क) यहाँ लेखक ने भारत और सोवियत संघ के बीच जिन समानताओं का उल्लेख किया है, उनकी एक सूची बनाइए। इनमें से प्रत्येक के लिए भारत से एक उदाहरण दीजिए।

इस अवतरण में लेखक ने भारत और सोवियत संघ के बीच निम्नलिखित समानताओं का उल्लेख किया है-

- भारत और सोवियत संघ दोनों में ही विभिन्न और परस्पर अलग-अलग जातीय समूह, धर्म, भाषाई समुदाय और सामाजिक वर्ग हैं। भारत में अलग-अलग प्रान्तों में

अलग-अलग धर्म और समुदाय के लोग रहते हैं और उनकी भाषा और वेश-भूषा भी अलग-अलग है।

- भारत और सोवियत संघ दोनों राष्ट्रों को ही इन सांस्कृतिक विभिन्नताओं के बीच एकता का भाव कायम करने हेतु प्रयास करने पड़े। भारत के प्रत्येक प्रान्त की संस्कृति भिन्न है। परन्तु सभी प्रान्तों के लोग एक-दूसरे की संस्कृति का सम्मान करते हैं।
- दोनों ही राष्ट्रों के निर्माण के प्रारम्भिक वर्षों में अत्यन्त संघर्ष का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश शासन से स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद भारत को नए राष्ट्र के निर्माण में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि आजादी साथ-साथ देश का भी विभाजन हुआ।
- दोनों ही राष्ट्रों की पृष्ठभूमि धार्मिक आधार पर बँटी हुई तथा कर्ज और बीमारी से त्रस्त थी। चूंकि भारत बहुत लम्बे समय तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते थे तथा ब्रिटिश सरकार ने यहाँ की जनता को कर्जदार बना दिया था। धन के अभाव में वे बीमारी से छुटकारा पाने में अशक्त थे।

(ख) लेखक ने यहाँ भारत और सोवियत संघ में चली राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रियाओं के बीच की असमानता का उल्लेख नहीं किया है। क्या आप दो असमानताएँ बता सकते हैं?

भारत और सोवियत संघ में चली राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रियाओं के बीच दो असमानताएँ इस प्रकार-

- भारत में लोकतान्त्रिक समाजवादी आधार पर राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हुई जबकि सोवियत संघ में साम्यवादी आधार पर राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हुई।
- भारत ने राष्ट्र-निर्माण के लिए कई प्रकार की बाहरी सहायता अर्थात् विदेशी सहायता प्राप्त की जबकि सोवियत संघ ने राष्ट्र-निर्माण के लिए आत्म-निर्भरता का सहारा लिया।

(ग) अगर पीछे मुड़कर देखें तो आप क्या पाते हैं? राष्ट्र-निर्माण के इन दो प्रयोगों में किसने बेहतर काम किया और क्यों?

राष्ट्र-निर्माण के इन दोनों प्रयोगों में सोवियत संघ ने बेहतर काम किया अतः वह एक महाशक्ति के रूप में उभरकर सामने आया। प्रथम विश्वयुद्ध के पहले रूस, यूरोप में एक बहुत ही पिछड़ा देश था। रूस में पूँजीवाद को समाप्त करने तथा उसे एक आधुनिक औद्योगिक राष्ट्र बनाने के लिए स्टालिन ने नियोजित आर्थिक विकास के आधार पर कार्य आरम्भ किया। रूसी क्रान्ति से समाजवादी विचारधारा की जो लहर सम्पूर्ण विश्व में बही उसने जाति, रंग और लिंग के आधार पर भेदभाव समाप्त करने में बड़ी सहायता दी। जबकि भारत में आज भी साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता, अष्टाचार, निरक्षरता, भुखमरी जैसी समस्याएँ विद्यमान हैं और भारत आज भी एक विकासशील राष्ट्र है।